न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 74/2026

01. गोविन्दराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी वार्ड नं. 05, चक 5 पी.एच.एम. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–07.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 5 पी.एच.एम. ए के मुरब्बा नं. 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/11 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में जरिये विरासतन दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल कराते समय सहवन से मुझ प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में गोविन्द राम ही अंकित है। वादी अपने रकबा पटवारी हल्का के पास दस्तावेज बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में गोमदराम नाम अंकित है जबकि मेरे समस्त दस्तावेज 10, 12 वी अंकतालिका व आधारकार्ड में गोविन्दराम अंकित है। वादी ने जानबूझकर अपने नाम का गलत अंकन नहीं करवाया, लिपिकिय त्रुटिवंश गोमदरात अंकन हो गया जिसके लिये वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध करवाना चाहता है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर गोमदराम की जगह गोविन्दराम की घोषणा व दुरूस्ती करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला का चक नं. 5 पी.एच.एम ए के मुरब्बा नं. 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि के 1/11 वा हिस्से गोमदराम की जगह गोविन्द राम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, 10 वी. कक्षा मार्कशीट, 12 वीं कक्षा की मार्कशीट की प्रति व पुत्री/सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 पी.एच.एम. ए के मु0नं0 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/11 वां हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम गोमदराम की जगह गोविन्दराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच गोमदराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गोमदराम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम गोमदराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 07.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)